कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियॉ,
उत्तर प्रदेश,

17, न्यू बेरी रोड, लखनऊ।

पत्र संख्याः 270/सी./समिति दिनांक 26 जुलाई, 2019

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।

विषयः **पेराई सत्र 2019–20 में गन्ना आपूर्ति की तैयारी के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश।**

जैसा कि आप अवगत है कि गत पेराई सत्र 2018–19 में अधिकांश चीनी मिलों द्वारा गन्ना सर्वेक्षण कार्य में भाग लेने से इन्कार किये जाने के फलस्वरूप गन्ना सर्वेक्षण का कार्य विभाग द्वारा मैनुअल तरीके से स्वयं सम्पन्न कराया गया। गन्ना सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने एवं तैयार की गयी गस्ती से सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल के आंकड़ों की कम्प्यूटर में फीडिंग में काफी समय लग जाता है। सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल के आकड़ों का गन्ना किसानों के बीच प्रदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम यथा ग्राम स्तरीय सर्वे प्रदर्शन, सट्टा प्रदर्शन, प्री–कैलेण्डर वितरण, समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला व अन्तिम कैलेण्डर वितरण कार्यक्रम हेतु निर्धारित अवधि से कम अवधि मिलने के कारण पेराई सत्र के दौरान कतिपय गन्ना समितियों के गन्ना किसानों को शिकायत करने का अवसर मिला। वर्तमान पेराई सत्र 2019–20 में विभाग एवं चीनी मिल द्वारा संयुक्त रूप से जी.पी.एस. प्रणाली के माध्यम से हैण्डहेल्ड कम्प्यूटर द्वारा गन्ना सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया है। सर्वेक्षित आंकड़े मुख्यालय स्थित सेन्ट्रल सर्वर पर पोर्ट किये जा रहे है। इस प्रकार गतवर्ष के सापेक्ष इस वर्ष सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल के आकड़ों की शुद्धता एवं गन्ना किसानों के मध्य प्रदर्शन हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध है। अतः प्रत्येक चरण में गन्ना कृषकों से प्राप्त आपत्तियों का गुणवत्तापरक निदान कर, सुगमतापूर्वक पर्ची निर्गमन हेतु आकड़ों को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया जाये जिससे पेराई सत्र के दौरान संशोधन हेतु कोई समस्या न रह जाये।

पेराई सत्र 2019–20 में सुगम गन्ना आपूर्ति हेतु सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल के आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, गन्ना कृषकों के मध्य सर्वे/सट्टा का प्रर्दशन कर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु ग्राम स्तरीय सर्वे प्रदर्शन, कृषकों से प्राप्त राजस्व खतौनी व घोषणा–पत्र से सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल का मिलान, ग्राम स्तरीय सटटा प्रदर्शन, प्री–कैलेण्डर वितरण एवं समिति स्तरीय सर्वे/सट्टा प्रदर्शन मेला एवं अन्तिम कैलेण्डर वितरण हेतु निम्नवत् तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है जिसका निर्धारित समयानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराना पर्ची निर्गमन हेतु अनिवार्य है।

क.सं.	कार्यक्रम	निर्धारित तिथि
1.	ग्राम स्तरीय सर्वे प्रदर्शन	6 जुलाई से 21 जुलाई तक
2	राजस्व अभिलेखों एवं घोषणा–पत्र से सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल का मिलान	22 जुलाई से 7 अगस्त तक
3.	ग्राम स्तरीय सट्टा प्रदर्शन एवं आपत्तियों का निस्तारण	8 अगस्त से 4 सितम्बर तक
4	प्री–कैलेण्डर निष्कासन एवं वितरण	5 सितम्बर से 10 सितम्बर तक
5.	समिति स्तरीय सर्वे/सट्टा प्रदर्शन मेला एवं आपत्ति निस्तारण	15 सितम्बर से 30 सितम्बर तक
6.	अन्तिम कैलेण्डर निष्कासन एवं वितरण	मिल संचालन के एक सप्ताह पूर्व

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया जाना अति आवश्यक है, जिस हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. ग्राम स्तरीय सर्वे प्रदर्शन में कम्प्यूटराइजड् गन्ना गस्ती रजिस्टर का किसानों के समक्ष पढ़कर सुनाया जायेगा तथा गस्ती के अन्तिम पृष्ठ पर बनाये गये ग्राम गोशवारा के नीचे सभी उपस्थित किसानों के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। यदि कृषकों द्वारा कोई आपत्ति की जाती है तो उसे संशोधन रजिस्टर पर चढ़ाने के बाद ही नियमानुसार आपत्तियों की जांच की जायेगी।
2. गन्ना क्षेत्रफल का राजस्व अभिलेखों से मिलान के अन्तर्गत गन्ना कृषकों से प्राप्त की गयी राजस्व खतौनी व घोषणा–पत्र से सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल का शतप्रतिशत मिलान किया जायेगा तथा प्रत्येक गन्ना पर्यवेक्षक मिलान उपरान्त पाये गये फर्जी, डबल, मृतक, भूमिहीन, भूमि से अधिक गन्ना क्षेत्रफल वाले कृषकों की सूचना के साथ–साथ अपने आवंटित सर्किल के शतप्रतिशत मिलान का प्रमाण–पत्र भी सम्बन्धित ज्ये.गन्ना विकास निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा। ज्ये. गन्ना विकास निरीक्षक अपने जोन के सभी गन्ना पर्यवेक्षकों से प्राप्त उपरोक्तानुसार प्रमाण–पत्र के परीक्षणोपरान्त सूचना एवं प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला गन्ना अधिकारी अपने जनपद के ज्ये.गन्ना विकास निरीक्षक से उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचना एवं प्रमाण–पत्र के परीक्षणोपरान्त अपने जनपद की सूचना एवं प्रमाण–पत्र सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को उपलब्ध करायेंगे। उप गन्ना आयुक्त अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित सभी जिला गन्ना अधिकारियों से प्राप्त सूचना एवं प्रमाण–पत्र के परीक्षणोपरान्त मिलान की सूचना एवं प्रमाण–पत्र मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 10 अगस्त तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे।
3. ग्राम स्तरीय सट्टा प्रदर्शन का कार्यक्रम ग्रामवार बनाते हुये मिल एवं विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा सट्टा प्रदर्शन का कार्य संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर कृषकवार आगणित बेसिक कोटा, सट्टा एवं प्रजातिवार गन्ना क्षेत्रफल का प्रदर्शन **संलग्न प्रारूप** पर किया जायेगा। प्रत्येक कृषक को उपरोक्तानुसार वर्णित आंकडों को दिखाने एवं उन्हें एक प्रति उपलब्ध कराने के उपरान्त प्रारूप के अन्तिम कॉलम में **"आंकड़ों को देखा एवं संतुष्ट हूँ व उक्त की एक प्रति प्राप्त किया"** हस्ताक्षर/अंगूठा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित मिल द्वारा उपर्युक्तानुसार प्रस्तुत प्रारूप पर आगणित सट्टे की पूर्ण सूचना कृषक के पंजीकृत मोबाइल पर एस.एम.एस. एवं हार्ड कॉपी के रूप में दी जानी अनिवार्य होगी। यदि कृषक द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो उसे संशोधन रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा तथा यदि शिकायत की जांच आवश्यक हो तो, उसकी जांच, एक लेवल ऊपर के अधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त संशोधन की संस्तुति जिला गन्ना अधिकारी को भेजी जायेगी। जिला गन्ना अधिकारी, संशोधनों के सम्बन्ध में प्राप्त आख्याओं का विस्तृत परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधन राजस्व अभिलेखों व मौके की स्थिति के सत्यापन के पश्चात् ही किया जाये। इस सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी एक रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त को भेजेगे। उप गन्ना आयुक्त सभी जनपदों की आख्या संकलित कर मुख्यालय भेजेगे। मुख्यालय के परीक्षणोपरान्त अग्रिम निर्देशों के अनुसार ही संशोधन की कार्यवाही की जायेगी। चूंकि यह चरण गन्ना आपूर्ति की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इसे पूर्ण पारदर्शिता, कृषकों की पूर्ण सहभागिता एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण किया जाये।
4. ग्राम स्तरीय सट्टा प्रदर्शन पूर्ण होने एवं प्राप्त आपत्तियों का समुचित निस्तारण होने के उपरान्त गतवर्ष के निर्धारित प्रारूप पर प्राथमिक कैलेण्डर का प्रकाशन कर शतप्रतिशत गन्ना कृषक सदस्यों को गन्ना पर्यवेक्षकों के माध्यम से प्राथमिक कैलेण्डर का वितरण कराया जाये तथा प्राप्ति रसीद भी किसानों से प्राप्त की जाये। प्राथमिक कैलेण्डर वितरण के साथ ही सम्बन्धित चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल पर

एस.एम.एस. के माध्यम से प्राथमिक कैलेण्डर के प्रमुख आंकड़ों को प्रेषित किया जायेगा। यदि वितरित प्राथमिक कैलेण्डर के सम्बन्ध में कृषकों द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, तो उसे संशोधन रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा तथा संशोधन की कार्यवाही प्रस्तर–3 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

5. जिन ग्रामों में कृषक सदस्यों द्वारा सर्वाधिक आपत्तियां/शिकायतें दर्ज करायी जाती हैं, तो यह माना जायेगा कि गन्ना सर्वेक्षण कार्य गम्भीरता से नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पुनः सर्वेक्षण कराकर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
6. प्राथमिक कैलेण्डर का वितरण पूर्ण होने के उपरान्त गन्ना किसानों की आपत्तियों के एकमुश्त निस्तारण हेतु समिति स्तर पर कम से कम **तीन दिवस** व अधिकतम **एक सप्ताह** सर्वे/सटटा प्रदर्शन मेला आयोजित किया जायेगा जिसमें गतवर्ष के भांति ब्लॉकवार स्टॉल लगाकर सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में मेलों का आयोजन कर वितरित प्राथमिक कैलेण्डर पर आपत्ति अथवा अन्य गन्ना आपूर्ति सम्बन्धी आपत्तियॉ प्राप्त की जायेगी तथा ज्ये.गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव द्वारा समस्याओं का समाधान किया जायेगा। समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेले का शुभारम्भ सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी एवं अध्यक्ष, गन्ना समिति द्वारा एवं समापन सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त एवं अध्यक्ष, गन्ना विकास परिषद द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। उचित होगा कि क्षेत्रीय मा. मंत्री/सांसदों/विधायकों से समय लेकर उनसे शुभारम्भ/समापन कराया जाये। उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, ज्ये.गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिवों द्वारा मेले के दौरान सट्टा नीति एवं विभाग द्वारा कृषकहित में संचालित विकास योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायेगी।
7. प्राथमिक कैलेण्डर पर कृषकों से प्राप्त आपत्तियों का समुचित निस्तारण करने उपरान्त मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व अन्तिम कैलेण्डर का वितरण गन्ना आपूर्तिकर्ता सदस्यों को कराया जाये तथा उनसे प्राप्ति ली जाये। सम्बन्धित चीनी मिल अन्तिम कैलेण्डर वितरण से सम्बन्धित सूचना का प्रेषण गन्ना कृषकों के पंजीकृत मोबाइल पर एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त गन्ना किसानों को गन्ना सर्वेक्षण से लेकर कैलेण्डर वितरण तक की प्रकिया को पूर्ण पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने हेतु उपर्युक्तानुसार वर्णित विधा के अतिरिक्त निम्न कार्य किये जाने आवश्यक होंगे जिससे गन्ना किसानों को सभी सम्बन्धित सूचनायें हार्ड कॉपी में व एस.एम.एस. के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल पर उपलब्ध हो सके।

- गन्ना किसानों की सुविधा हेतु ग्रामवार प्रदर्शन के अतिरिक्त प्रत्येक गन्ना समिति/गन्ना विकास परिषद कार्यालय में गन्ना सर्वे/सट्टा से सम्बन्धित आपत्तियों के पंजीकरण हेतु पृथक से काउंटर खोला जाये जिसमें कार्यालय समय में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक गन्ना सर्वे/सट्टा से सम्बन्धित आपत्तियां दर्ज की जाये जिसका पर्यवेक्षण सम्बन्धित ज्ये.गन्ना विकास निरीक्षक/सचिव करेंगे।
- प्रत्येक गन्ना समिति में एक इन्क्वारी टर्मिनल तत्काल स्थापित कर दिया जाये, जिसमें इन्टरनेट, कम्प्यूटर, प्रिन्टर उपलब्ध हो तथा इस केन्द्र कम्प्यूटर में दक्ष समिति/परिषद का कार्मिक तैनात किया जाये। यदि समिति/परिषद में कम्प्यूटर में दक्ष नहीं है तो इस कार्यालय 115/सी दिनांक 30–11–2018 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिक तैनात कराया जाये। कार्यालय समय में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य यदि किसी भी कृषक द्वारा सर्वे/सट्टा के सम्बन्ध में कोई जानकारी मांगी जाती है तो उसे वह बतायेगा तथा कृषक द्वारा यदि हार्ड कॉपी मांगी जाती है तो समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित शुल्क केअनुसार उसे हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करायी जायेगी।

- यदि गन्ना समिति अत्यन्त छोटी है या उसकी आर्थिक स्थिति इन्क्वारी टर्मिनल चलाने हेतु सक्षम नहीं है तो गतवर्ष के भांति कई गन्ना समितियां मिलकर इन्क्वारी टर्मिनल संचालित करेंगी एवं उसका व्यापक प्रचार–प्रसार गन्ना कृषकों के मध्य किया जायेगा।
- तहसील स्तर पर आयोजित होने वाले प्रत्येक तहसील दिवस में प्रतिभाग करने वाले विभागीय अधिकारी द्वारा गन्ना सर्वे/सट्टा के सम्बन्ध में उपस्थित किसानों को यथावश्यक जानकारियां अनिवार्य रूप से अवगत करायी जायेगी जिससे कृषक विभाग द्वारा दी जाने वाली पारदर्शी विधाओं का प्रयोग कर अपनी आपत्तियों का निराकरण समय पर करा सके। तहसील दिवस पर यह भी अवगत कराया जायेगा कि गन्ना सर्वे/सट्टा से सम्बन्धित आपत्तियों का निस्तारण गन्ना पेराई प्रारम्भ होने से पूर्व ही करा लें क्योंकि परेाई सत्र के दौरान आंकड़ों में संशोधन सम्भव नहीं होगा।
- उपर्युक्त के सम्बन्ध में गन्ना किसानों के मध्य व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रिन्ट मीडिया, सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाये।

उपर्युक्तानुसार यदि सभी प्रकियाओं का पालन पूर्ण पारदर्शिता, सहभागिता एवं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से किया जाये तो पेराई सत्र के दौरान आंकड़ों में संशोधन के सम्बन्ध में कोई आपत्तियॉ/आवेदन प्राप्त नहीं होंगे। यदि किसी क्षेत्र में पेराई सत्र के दौरान आंकड़ों में संशोधन किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित अधिकारियों ने उपर्युक्त प्रकियाओं का पूर्णता के साथ अनुपालन नहीं किया है एवं उन्होंने लापरवाही बरती है। तद्नुसार लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अतः पेराई सत्र 2019–20 हेतु उपर्युक्तानुसार निर्गत किये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः मंशानुरूप अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये गन्ना किसानों की गन्ना आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं का पूर्ण पारदर्शिता, सहभागिता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ निस्तारण सुनिश्चित करायें। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बता/लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

(मनीष चौहान)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः 270 /सी०/समिति **तददिनांक –**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी (गन्ना उत्पादक जनपद), उ.प्र.।
3. समस्त नोडल अधिकारी, मुख्यालय।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ।
6. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
7. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
8. समस्त ज्ये.गन्ना विकास निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि.,उत्तर प्रदेश।

(डॉ.वी.बी.सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त(समिति)/
कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

प्रारूप

कृषकवार/ग्रामवार सर्वे/सट्टा प्रदर्शन हेतु चेक लिस्ट

माह–जुलाई, 2019

क्र. सं.	नाम जनपद	समिति का नाम	कृषक कोड/ यूनिकोड	कृषक का नाम मय पिता	कृषक मोबाइल नम्बर	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	मिल का नाम	कुल कृषि योग्य भूमि (हे. में)	कुल गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)								
										अगेती			सामान्य			अस्वीकृत		
										पेड़ी	पौधा	कुल	पेड़ी	पौधा	कुल	पेड़ी	पौधा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

(2)

कुल योग क्षेत्रफल (हे.में)			गन्ना उत्पादकता (कु./हे. में)	कुल उत्पादन (कु. में)	उत्पादन का 85 प्रतिशत (कु.में)	बेसिक कोटा (कु.में)				बेसिक सट्टा (कु. में)	अतिरिक्त गन्ना उपलब्धता (कु. में) (24–29)	गन्ना आपूर्ति साधन	सट्टे के अनुसार कुल पर्ची संख्या	किसान द्वारा की गयी अतिरिक्त सट्टे की मांग (कु. में) हस्ताक्षर कृषक	देखा व संतुष्ट हूँ तथा एक प्रति प्राप्त की (हस्ताक्षर कृषक)
पेड़ी	पौधा	कुल				2 वर्ष का औसत	3 वर्ष का औसत	5 वर्ष का औसत	निर्धारित बेसिक कोटा (अधिकतम)						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

(डा०वी०वी०सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (समितियाँ)